न्यायालय:– अपर सेशन न्यायाधीश, रावतसर, जिला–हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – **राजन खत्री,**
(RJS, DJ Cadre)

जमानत आवेदन सीआईएस संख्या– 130/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2026 पुलिस थाना पल्लू

अपराध अंतर्गत धारा – 318(4), 319(2), 338, 336(3), 316(4), 316(5), 340(2), 61(2) बी.एन.एस.

1– विजय लक्ष्मी पत्नी रामप्रताप शर्मा, उम्र 48 वर्ष, निवासी भैरवदत्ता लेन, नंदी बागान, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।

2– रामप्रताप शर्मा पुत्र बृजलाल, उम्र 57 वर्ष, निवासी भैरवदत्ता लेन, नंदी बागान, हावड़ा, पश्चिम बंगाल।

–– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, रावतसर।

––अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा0 ना0 सु0 सं0

उपस्थिति:–

01. श्री पवन कुमार शर्मा, श्री विपुल ओझा, श्री राजेन्द्र रेगर, अधिवक्ता – प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।

02. श्री उमेश कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– आदेश– **दिनांक:– 02–06–2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 भा0 ना0 सु0 सं0 इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। बहस सुनी गई।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया गया है जो कि अंतर्गत धारा–318(4), 319(2),338, 336(3), 316(4), 316(5), 340(2), 61(2) के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध की परिभाषा में आता है। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित समस्त तथ्यों को पड़ने मात्र से भी प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराध कारित होना नहीं पाया जाता है। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मिथ्या व सारहीन हैं तथा प्रार्थी को बेवजह परेशान करने हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका सच्चाई से कोई सरोकार नहीं हैं। यह कि आवेदकगण उपरोक्त प्रकरण में निराधार रूप से नामजद किए गए हैं तथा उन्हें गिरफ्तारी की आशंका है। यह कि उक्त एफ.आई.आर. में कुल 162 व्यक्तियों को नामजद

किया गया है, जिनमें आवेदकगण का नाम मात्र औपचारिक रूप से जोड़ा गया है, जबकि उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप या भूमिका वर्णित नहीं है। अभियुक्तगण करीब 30–35 वर्ष से पश्चिम बंगाल में निवास कर रहें है तथा राजस्थान केवल पारिवारिक समारोह में सम्मिलित होने ही आते है तथा वर्तमान प्रकरण में किसी भी तरह से कोई सरोकार नहीं है। यह कि प्रकरण के मुख्य आरोप State Bank of India के अधिकारियों द्वारा फसल बीमा से संबंधित कथित अनियमितताओं के संबंध में हैं, जिनसे आवेदकगण का कोई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह कि आवेदकगण न तो बैंक कर्मचारी हैं और न ही किसी बीमा क्लेम प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका रही है। यह कि कथित ₹9 करोड़ की राशि में से आवेदकगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तथा उनसे किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। यह कि सम्पूर्ण प्रकरण दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है, अतः आवेदकगण की अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कि आवेदकगण स्थायी निवासी हैं, उनके विरुद्ध कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा वे जांच में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। यह कि आवेदकगण के फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीयों का नाम अंकित हैं तथा ना ही प्रार्थी मौके पर उपस्थित थे एवं प्रार्थी के विरूद्ध किसी तरह का साक्ष्य नहीं हैं। यह कि प्रार्थी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रार्थी का मूलभूत अधिकार है कि अनुसंधान अधिकारी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये उल्लंघन कर रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये वंचित नहीं रखा जा सकता। वर्तमान प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी के विरूद्ध बिना किसी साध्य के आधार पर गिरफ्तार करने पर आमादा है जो कि स्पष्टतः विधि के सिद्धान्तों का उल्लंघन है। यह कि प्रार्थी अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने हेतु तत्पर है। यह कि प्रार्थी भारतीय का नागरिक है तथा वर्तमान पते का स्थायी निवासी है और प्रार्थी के द्वारा गवाहों को बहकहाने व बरगलाने का कोई अंदेशा नहीं हैं। यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों की पालना करने के लिये कटिबद्ध है तथा इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी पर जो भी शर्त अधिरोपित की जावेगी तो प्रार्थी उसकी अक्षरशः पालना करने के लिये कटिबद्ध रहेगा। यह कि प्रार्थी एक मौतबिर व्यक्ति है तथा उसके देश छोड़कर भाग जाने का कोई अंदेशा नहीं हैं। यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार जमानत व मुचलके

प्रस्तुत करने को तैयार है। यह कि अन्य वजुहात बरवक्त बहस श्रीमान् जी की आज्ञा से सेवा में प्रस्तुत कर दिये जावेंगे। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सूरत में प्रार्थी को तुरन्त जमानत व मुचलके पर रिहा किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें ।

3. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है, इसलिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।
4. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 08–05–2026 को श्री राकेश कुमार पुत्र राजकुमार, हाल कृषि अधिकारी(फसल) एवं सदस्य सचिव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहसील स्तरीय शिकायत निराकरण समिति(टी.जी.आर.सी) कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(विस्तार) नोहर ने हाजिर थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट निरीक्षण के दौरान एसबीआई शाखा पल्लू में 162 लोगों के नाम से बचत खातों को फर्जी तरीके से एसबीआई के पोर्टल पर ऋणी किसान दिखाकर खराफ 2025 में इनका फसल बीमा काटकर करीब 9 करोड़ का क्लेम बना देने, जबकि इन 162 लोगों के नाम बीकानेर जिले के गजनेर तहसील में फर्जी कृषि भूमि दिखाने...आदि, के संबंध में पेश की। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है –

Sr. No.	FIR No. & Police Station	Under Section	Status
–	–	–	–

6. हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि आज दिनांक तक प्रकरण में अनुसंधान में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। ऐसे में इस स्तर पर अपराध होने, उसमें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की संलिप्तता अथवा असंलिप्तता एवं उनके किसी कृत्य के संबंध में कोई भी प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाला जाना भी सम्भव प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस

थाना रावतसर द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि मुकदमा हाजा में अब तक के अंवेषण एवं उपलब्ध रिकॉर्ड से 3,81,46,359.24/– रुपये बीमा क्लेम उठाना पाया गया है जो और अधिक भी होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभियोग में नामजद अपराधी 1 से 166 तक की क्या–क्या भूमिका रही और किस–किस के द्वारा कितनी–कितनी राशि की धोखाधड़ी कर राशि हड़प की गई है और किस–किस अपराधी द्वारा क्या–क्या कूटरचित दस्तावेज इस धोखाधड़ी में काम में लिये गये हैं और ऐसी राशि से क्या–क्या सम्पत्ति अर्जित की गई है तथा राशि का कहां–कहां समायोजन किया गया है, इत्यादि तथ्यों पर गहन व विस्तृत अंवेषण किया जाना है। कई करोड़ों रुपयों की भारी भरकम हुए इस गबन व धोखाधड़ी के प्रकरण में गहन व विस्तृत अंवेषण की आवश्यकता है। अनुसंधान के उपरांत ही अपराध एवं अपराधी का उद्देश्य, उद्गम, कृत्य का निर्धारण किया जायेगा और किसके द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक कितनी राशि का गबन कर हड़पी गई राशि का निर्धारण किया जाना सम्भव होगा। ऐसी सूरत में इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। किन्तु प्रकरण में अंवेषण के दौरान भविष्य में कोई नये तथ्यों के प्रकाश में आते हैं तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत का नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

–: आदेश :–

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **विजय लक्ष्मी पत्नी रामप्रताप शर्मा व रामप्रताप शर्मा पुत्र बृजलाल** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भा0 ना0 सु0 सं0 इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(राजन खत्री)

8. आदेश आज दिनांक 02–06–2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.03 12:47:26 IST